न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 67 / 2023

उनवान

1. छोटूराम दतक पुत्र गोविन्द पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुराडी, तिलाना, नसीराबाद, अजमेर

––– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. श्रवण पुत्र सुरजमल
2. मांगू पुत्र सुरजमल
3. हरलाल पुत्र सुरजमल
4. सुवा पुत्र सुरजमल
5. श्रवणी पुत्री सुरजमल समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुराडी, तिलाना, नसीराबाद, अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 5 स्वयं
6 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.7.23

वद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुराडी व प0म0 तिलाना तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादी के की पुश्तैनी खातेदारी / काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
145 / 92	किता 2	0.08
157 / 159	किता 15	4.71
185 / 145	किता 2	0.23
39 / 41	किता 4	0.57
40 / 115	1408 / 40	[illegible]
75 / 78	किता 8	[illegible]
83 / 89	किता 3	[illegible]
144 / 93	किता 3	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—2

उक्त आराजी राजस्व अभिलेख मे वादी के दत्तक पिता गोविन्द पुत्र सुरजमल व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। गोविन्द पुत्र सुरजमल की मृत्यु दिनांक 29.12.2022 को हो गयी है तथा गोविन्द की पत्नी दाखु की मृत्यु 1.3.1990 को ही हो गयी थी। मृतक गोविन्द व दाखा के कोई जायन्दा पुत्र, पुत्री नही होने के कारण गोविन्द पुत्र सुरजमल ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद ले लिया था। तब से वादी ने पुत्र धर्म के सभी कर्तव्यो का पालन किया है तथा अपने पिता की सेवा भी की है। गोविन्द पुत्र सुरजमल की मृत्यु के बाद उसकी पगडी भी वादी के ही बांधी गयी थी। अतः वादी गोविन्द पुत्र सुरजमल का दत्तक पुत्र होने के कारण उसके द्वारा उक्त वाद पेश किया जा रहा है। गोविन्द के पिता का नाम सुरजमल का पुत्र खिया है। गोविन्द के 5 भाई श्रवण, मागूं, गोविन्द, हरलाल, सुवा व 1 बहिन श्रवणी है। गोविन्द की मृत्यु हो गयी है। मांगू का पुत्र वादी छोटूराम गोविन्द के गोद गया है। मांगू द्वारा समाज के मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष वादी (जायन्दा पुत्र) को गोविन्द को गोद दिया था। किन्तु अनपढ होने के कारण उस वक्त गोद की कोई लिखा पढी नही की गयी। हिन्दु धर्म में प्रचलित समस्त किया कर्म की पालना गोद लेने व देने में की गयी थी। अतः वादी गोविन्द का दत्तक पुत्र होने से आराजी मुतनाजा पर गोविन्द पुत्र सुरजमल के स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जार्यें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्वयं ने उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

प्रकरण में वाद का खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, शजरा प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये एवं साक्ष्रू नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र के लिखित कथनों को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया।

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में गोविन्द पुत्र सुरजमल, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व अन्य खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि गोविन्द पुत्र सुरजमल व उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी है जिनके कोई जायन्दा वारिस नही होने के कारण उनके द्वारा वादी को गोद लिया था। वादी द्वारा गोविन्द पुत्र सुरजमल व उसकी पत्नी दाखा का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न किया है। वादी ने दत्तक पुत्र के सभी कर्त्तव्यों का पालन किया। गोविन्द की मृत्यु पर उसकी पगडी वादी के बांधी गयी थी। तथा गोद के अन्य दस्तुर भी वादी द्वारा पूर्ण किये गये थे। गोविन्द पुत्र सुरजमल ने अपने जीवन काल में वादी को को गोद लिया था। गोविन्द पुत्र सुरजमल के कोई संतान नही थी। उक्त दोनो तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा भी नही किया गया है। प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों को स्वीकार किया है। गोविन्द पुत्र सुरजमल की [illegible] चल–अचल सम्पति में वादी को वही अधिकार प्राप्त होगे जो एक जायन्दा [illegible] होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, मृतक [illegible] से भी वादी गोविन्द का दत्तक पुत्र सिद्व होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aamgeria
Date: 2024.01.08 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—3

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम कुराडी के हाल खाता संख्या 157/159 किता 15 रकबा 4.71, 144/93 किता 3 रकबा 0.47, 145/92 किता 2 रकबा 0.08, 39/41 किता 4 रकबा 0.57, 185/145 किता 2 रकबा 0.23, 75/78 किता 8 रकबा 1.03, 83/89 किता 3 रकबा 0.30 व खसरा नम्बर 1408/40 रकबा 0.43 की आराजी पर वादी को गोविन्द पुत्र सुरजमल के हिस्से की आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छोटूराम बनाम श्रवण

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 67/2023
पेश करने की दिनांक – 28.04.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम कुराडी के हाल खाता संख्या 157/159 किता 15 रकबा 4.71, 144/93 किता 3 रकबा 0.47, 145/92 किता 2 रकबा 0.08, 39/41 किता 4 रकबा 0.57, 185/145 किता 2 रकबा 0.23, 75/78 किता 8 रकबा 1.03, 83/89 किता 3 रकबा 0.30 व खसरा नम्बर 1408/40 रकबा 0.43 की आराजी पर वादी को गोविन्द पुत्र सुरजमल के हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 01 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद